



## अनुबंध - 2

### आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा प्रस्तुत जानकारी
1.	बैंक का नाम व पता	
2.	लाइसेंस संख्या व लाइसेंस को जारी करने की तारीख	
3.	परिचालन क्षेत्र और शाखाओं की संख्या	
4.	रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम और पता जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक पंजीकृत है	
5.	उस सहकारी अधिनियम का नाम जिसके तहत बैंक एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है	
6.	बैंक का प्रस्तावित नाम	
7.	बैंक के नाम में परिवर्तन का कारण (कृपया सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें)	
8.	क्या आरबीआई द्वारा बैंक पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो विवरण दें	
9.	क्या पूर्व में बैंक के नाम में आवेदन/ परिवर्तन किया गया है: (हाँ/नहीं)	
	यदि हाँ :	
	i) आरबीआई को आवेदन की दिनांक	
	ii) बैंक का मूल नाम	
	iii) बैंक का प्रस्तावित नाम	
	iv) परिवर्तन के लिए कारण	



	v) सीआरसीएस/आरसीएस अनुमोदन की दिनांक	
	vi) परिवर्तन आरबीआई द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत	
	vii) आरबीआई द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति दिनांक	
	viii) अस्वीकृति का कारण, विवरण दें	
10.	क्या पूर्व में आरबीआई के अनुमोदन के बिना बैंक के नाम में परिवर्तन किया गया था: (हाँ/नहीं)	
11.	यदि हाँ, तो आरबीआई अनुमोदन के लिए आवेदन न करने का कारण	
12.	यदि नहीं, तो आरबीआई के अनुमोदन का विवरण दें (प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	
13.	क्या नाम और अनुमोदन की तिथि में पिछले बदलाव के मामले में सीआरसीएस/आरसीएस अनुमोदन लिया गया था (प्रति दें)	
14.	क्या लागू सहकारिता अधिनियम/नियमों के तहत उप-नियमों में बदलाव के लिए केंद्र/राज्य सरकार, एक या अधिक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से 'पुष्टि' की कोई आवश्यकता है? (हाँ/नहीं)	
15.	यदि हाँ: i) आवश्यकता का विवरण दें (प्रति प्रस्तुत करें)	
16. विनियामक अनुमोदन के समय आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को विवरण प्रस्तुत किया जाना है		
	i) पुष्टि करें कि क्या बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 49सी के तहत उप-नियमों में बदलाव के लिए आरबीआई एनओसी दी गई है (हाँ/नहीं)	



	ii) यदि हाँ - बैंक के अनुरोध और आरबीआई एनओसी का विवरण दें (प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	
	iii) यदि नहीं - बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 49सी के तहत एनओसी प्रदान करने के लिए आरबीआई से संपर्क नहीं करने का कारण	
	iv) सीआरसीएस/आरसीएस अनुमोदन का विवरण (प्रति प्रस्तुत करें)	